

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक...../चार-12-5/23(Pt-II)

जबलपुर, दिनांक.....06/11/2025

रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 295/गोपनीय/2025 जबलपुर, दिनांक 09.02.2025 द्वारा निम्न तालिका के कॉलम नंबर 02 में दर्शित अधिकारियों को उच्चतर न्यायिक सेवा में (प्रवेश स्तर) जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत होने के फलस्वरूप उच्चतर न्यायिक सेवा के एंट्री वेतनमान रुपये 144840-194660/- (लेवल जे-5) में उनके वेतन का निर्धारण निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार किया जाता है :-

क्र.	न्यायिक सेवा के अधिकारियों के नाम एवं यूनिट कोड नंबर	वेतनमान रु. 122700-180200 (लेवल-जे-4) में प्राप्त वेतन एवं दिनांक	उच्च न्यायिक सेवा के एंट्री वेतनमान रु0 144840-194660 (लेवल-जे-5) में कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक, पदनाम एवं पदोन्नति का स्थान	एंट्री वेतनमान रु0 144840-194660 (लेवल-जे-5) में निर्धारित वेतन	देय दिनांक	आगामी वेतनवृद्धि का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री रूपसिंह कनेल 270004917	134080/- 25.05.2024	14.02.2025 (दोपहर पूर्व) द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जतारा जिला टीकमगढ़।	144,840/-	14.02.2025	स्थायीकरण प्रमाण पत्र जारी होने पर विचारण योग्य।
2	श्री कमलेश भरकुंदिया 270004919	138100/- 31.05.2024	19.02.2025 (दोपहर पूर्व) चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़।	144,840/-	19.02.2025	स्थायीकरण प्रमाण पत्र जारी होने पर विचारण योग्य।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

(राजेश कुमार शर्मा)

रजिस्ट्रार(एम)

जबलपुर, दिनांक.....06/11/2025

क्रमांक...../चार-12-5/23(Pt-II)

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम)(पेंशन) एवं सहायक सेवा पुस्तिका (राजपत्रित), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. रीडर टू रजिस्ट्रार(एम)/ओ0एस0डी(लेखा), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. श्री रूपसिंह कनेल, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जतारा जिला टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री कमलेश भरकुंदिया, चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

नोट:-रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।

(राजेश कुमार शर्मा)
रजिस्ट्रार(एम)